

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर-मालवा म.प्र.

क्रमांक:- 367 / 2024

आगर, दिनांक -01 / 07 / 2024

आदेश

माह जुलाई-अगस्त 2024 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी रहेगा।

क्र.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई	अगस्त
1	श्री हेमंत मेहरा जे.एम.एफ.सी. आगर	21	18, 19
2	श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह जे.एम.एफ.सी. आगर	17	15, 17
3	सुश्री चाहना शर्मा जे.एम.एफ.सी. आगर	14	25, 27
4	सुश्री मोनिका यादव जे.एम.एफ.सी. आगर	7, 28	4, 11
		सुसनेर	
5	श्रीमती कंचन देव शिवहरे जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	14, 17	4, 15, 17, 25
6	सुश्री वंशिता गुप्ता जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	7, 21, 28	11, 18, 19, 27
		नलखेडा	
7	श्री मोहित माधव जे.एम.एफ.सी. नलखेडा	7, 14, 17, 21, 28, 4, 11, 15, 17, 18, 19, 25, 26	

आवश्यक निर्देश

- सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो माह जुलाई 2024 में अवकाश घोषित किये जाने पर अवकाश दिनांक को रिमाण्ड सुश्री चाहना शर्मा एवं माह अगस्त 2024 में श्री भूपेन्द्रसिंह कुशवाह जेएमएफसी संपादित करेंगे।
- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें कार्य संपादित करना होगा।
- नलखेडा/सुसनेर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश की दशा/अनुपस्थिति में रिमांड ड्यूटी का कार्य सुसनेर/नलखेडा में उपलब्ध पीठासीन अधिकारी/रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जायेगी।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जब भी मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, तो उसमें यह अवश्य उल्लिखित करें कि जिन दिनांकों में मुख्यालय अवकाश चाहा गया है, उनमें उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है और यदि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है, तो अपने आवेदन पर अपने साथी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रेषित करें।
- पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थित या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर-मालवा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक.....2024

आगर दिनांक

- कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आगर-मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव बार एसोशियेशन आगर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
- जिला अभियोजन अधिकारी आगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय आगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रिमांड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर/सुसनेर/नलखेडा के कार्यालयीन ईमेल पर अपलोड किये जाने हेतु।

(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर-मालवा म.प्र.